Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. XI, Issue No. XXI, April-2016, ISSN 2230-7540

अनुसंधान में अनुभव का महत्व और सामाजिक सरोकार में उसकी भूमिका

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. XI, Issue No. XXI, April-2016, ISSN 2230-7540

अनुसंधान में अनुभव का महत्व और सामाजिक सरोकार में उसकी भूमिका

Dr. Lalita Pandey*

Education

सार - सामाजिक, स्वैच्छिक, सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत अनुभवी व्यक्तियों को पीएचडी अथवा अनुसंधान हेतु अवसर प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संबंधित विषय में 55 प्रतिशत अंकों की बाध्यता को परिवर्तित कर उच्च शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सरोकार को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान जनहित में आवश्यक है। उच्च शिक्षा में सुधारों हेतु उक्त आलेख प्रस्तुत है।

----------X----------

वर्तमान में हमारे देश में उच्च शिक्षा संस्थागत, दूरस्थ तथा ओपन लर्निंग के माध्यम से प्रदान की जा रही है जिसके अंतर्गत छात्र को सम्बद्ध महाविद्यालय में संस्थागत या दूरस्थ अथवा ओपन लर्निंग के अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है और एक नामांकन संख्या का आवंटन किया जाता है। छात्र को कुछ विषयों के ग्रुप में से कोई तीन या चार विषय चुनने होते हैं, प्रत्येक विश्वविद्यालय के अलग-अलग नियम व शर्तें होती हैं। यदि छात्र संस्थागत अध्ययनरत है तो प्रतिदिन महाविद्यालय में उपस्थित होकर संबंधित विषय के सहायक आचार्य /असिस्टेंट प्रोफेसर से ज्ञान अर्जित करना होता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत साप्ताहिक कांटेक्ट कक्षाओं का आयोजन किया जाता है जिसके अंतर्गत पंजीकृत छात्र को अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होता है और ओपन लर्निंग में भी यही व्यवस्था है। वर्तमान में हमारे देश की उच्च शिक्षा में अनेक सुधारों की आवश्यकता प्रतीत होती है जैसे:-

1. स्नातक स्तर पर कोई तीन या चार विषयों को चयनित करना अनिवार्य होता है जो कि संबंधित ग्रुप से हों, जबकि छात्र की रुचि के अनुसार विषय चयनित करने का अधिकार होना चाहिए।

2. उच्च शिक्षा में ऑनलाइन ट्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे घर बैठे ट्यूटर के माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण की जा सके।

3. आजकल सरकारी विश्वविद्यालयों की तुलना में निज़ी विश्वविद्यालयों की संख्या तेजी से बढ़ रही है लेकिन उन्हें महाविद्यालय खोलने की अनुमति नहीं है इसका विस्तार किया जाना चाहिए। ये शुरुआत विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आवश्यक है।

4. विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए परास्नातक वाले विषय में रिसर्च या अनुसंधान या पीएचडी करने जैसी बाध्यता को समाप्त करके, जिस क्षेत्र में उनको कार्य का अनुभव हो उसी में पीएचडी करने की छूट मिलनी चाहिए जिससे प्रायोगिक शिक्षा का विस्तार हो और सेवा के साथ-साथ उनको उच्च शिक्षा का अवसर मिल सके।

5. उच्च शिक्षा के द्वार ऑनलाइन उच्च शिक्षा के माध्यम से आमजन तक खोलने होंगे।

साक्षात्कार का माध्यमः फेस टू फेस साक्षात्कार

उपरोक्त विषयान्तर्गत फेस टी फेस साक्षात्कार का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत एक प्रश्नावली को तैयार कर आम जनता व सामाजिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों, निज़ी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों व सेवारत कर्मचारियों को शामिल किया गया जिनकी आयु 20 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य थी।

साक्षात्कार में सम्मिलित लोगों की संख्याः लगभग 425

साक्षात्कार हेतु चयनित क्षेत्र /स्थान मुरादाबाद मंडल उत्तर प्रदेश, कुमाऊं मंडल उत्तराखंड, भारत

फेस टू फेस साक्षात्कार के माध्यम से जो जानकारी मिली वह वास्तविक व सुधारवादी प्रतीत होती है जिसके अंश इस प्रकार हैं -

विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत लोगों का कहना है कि उच्च शिक्षा में अनुसंधान, रिसर्च अथवा पीएचडी के द्वार उनके लिए भी बिना विषय की बाध्यता के खोलने चाहिए उदाहरण आज यदि कोई पीएचडी करना चाहता है तो संबंधित विषय में परास्नातक होना पहली शर्त है जिसमें 55 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। क्या यह व्यवस्था त्रुटिपूर्ण नहीं है निश्चित रूप से।

जलपुरुष राजेंद्रसिंह जी आयुर्वेद में स्नातक हैं लेकिन वैश्विक स्तर पर वाटर मैन या जलपुरुष के नाम से विख्यात हैं और पानी बचाओ, नदियों को पुनर्जीवित करने के अभियान में अनेक वर्षों से निरंतर कार्यरत हैं जो कि तरुण भारत संघ स्वेच्छिक संस्था के माध्यम से सामाजिक सरोकार में व्यस्त हैं। उनके पास उक्त क्षेत्र का प्रायोगिक अनुभव है। बाढ़, सूखा, नदी, इत्यादि पर पर्याप्त अनुभव लेकिन उनको उक्त विषयों में पीएचडी हेतु सिर्फ इसलिए पंजीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने परास्नातक में संबंधित विषय के अंतर्गत 55 प्रतिशत अंकों के साथ अध्ययन नहीं किया है जबकि उनका प्रायोगिक अनुभव विश्वव्यापी है और रमन मैग्सेसे पुरष्कार प्राप्त हैं।

अमिताभ बच्चन जी को कला का अनूठा अनुभव प्राप्त है, ऐसे अनेक उदाहरण हैं गायिका अनुराधा पौडवाल व लता मंगेशकर, गजल गायक जगजीत सिंह, तानसेन तबला वादक लेकिन उनको संबंधित क्षेत्र में पीएचडी में प्रवेश नहीं मिल सकता है क्योंकि संबंधित विषय में परास्नातक नहीं हैं, जबकि ऐसे विशिष्ठ लोगों का योगदान इस देश के उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए आवश्यक है ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के रिसर्च से जो ज्ञान मिलेगा वह अद्भुत होगा, अविस्मरणीय होगा और समाज को एक नई दिशा देने वाला होगा अतः उच्च शिक्षा में पीएचडी या रिसर्च जैसे पाठ्यक्रमों को परास्नातक स्तर पर विषयों व प्रतिशत की बाध्यता से मुक्त करना होगा और सामाजिक संस्थाओं या सेवा में अनुभव को भी तरजीह देना सर्वथा न्याययोचित होगा। फेस टू फेस साक्षात्कार अत्यंत रोचक रहा और संबधित क्षेत्र में कार्यरत लोगों की समस्याओं से रूबरू होने का अवसर मिला और उच्च शिक्षा में उनके पदार्पण की बाधा का ज्ञान भी हुआ जो वास्तव में स्वीकार्य और संशोधन योग्य भी है।

स्नातक व परास्नातक स्तर की शिक्षा ग्रहण करने हेतु विषयों के ग्रुप से तीन या चार विषय चयनित करने की व्यवस्था पर भी फेस टू फेस साक्षात्कार में अनेक रोचक तथ्य सामने आए जो इस प्रकार हैं

बालादत्त शर्मा जी, गोपालदत्त शिक्षण समिति, स्वेच्छिक संस्था के अध्यक्ष हैं के द्वारा अवगत कराया गया कि अध्ययन के दौरान उनकी रुचि गणित, सांख्यिकी विषय में थी लेकिन स्नातक में विषयों की बाध्यता के चलते उनको समाजशास्त्र व हिंदी जैसे विषय का अध्ययन मजबूरी में करना पड़ा जबकि उक्त विषयों में उनकी कोई रुचि नहीं थी लेकिन स्नातक में एक भाषा और तीन अन्य विषय का चुनाव संबंधित ग्रुप से ही करना था अतः यह मजबूरी समाप्त होनी चाहिए यदि किसी की रुचि गणित में है तो उक्त से गणित में उच्च प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है ना कि अन्य विषय में। भविष्य में रुचि में परिवर्तन संभव है अतः उक्त को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के द्वार खुले होने चाहिए। एक साधारण व्यक्ति जिसने इतिहास में परास्नातक किया हो या स्नातक तक कि पढ़ाई की हो किंतु विभिन्न पत्रिकाओं या समाचारपत्रों में कार्यरत रहा हो, पत्रकारिता का अनुभवी हो, वह आज तात्कालिक समय में अपने अनुभव के आधार पर पत्रकारिता में रिसर्च अथवा पीएचडी करना चाहता है तो क्यों न उक्त व्यक्ति को अनुभव के आधार पर संबंधित क्षेत्र में उच्च शिक्षा पीएचडी अथवा अनुसंधान हेतु अनुमति मिले

अथवा संबंधित क्षेत्र में उसके अनुभवों से राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक परिवर्तनों को देखा जा सकता है। वर्तमान में प्रौधोगिकी के क्षेत्र में विकास हुआ है लेकिन शिक्षा को अधुनिकता के दायरे में अभी तक नहीं लाया गया है। आज ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है और आसान भी है क्योंकि जो लोग कल तक दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ थे आज सूचना क्रांति के फलस्वरूप एंड्राइड मोबाइल एप्प के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। परीक्षाओं में भी ऑनलाइन सम्मिलित हो सकते हैं अतः उच्च शिक्षा को सरल व व्यवहारिक तथा सूचना तकनीकी से परिपूर्ण बनाने पर तत्काल विचार किया जाना चाहिए जिससे उच्च शिक्षा ग्रहण करना आसान व सरल हो जाये। विभिन्न संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन भी ऑनलाइन ट्यूटर के माध्यम से किये जाने का प्रावधान होना चाहिए।

निजी विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय खोलकर उच्च शिक्षा के विस्तार पर कार्ययोजना

वर्तमान में निज़ी विश्वविद्यालयों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ऐसे में उक्त निज़ी विश्वविद्यालयों को महाविद्यालयों की मान्यता का अधिकार कुछ विशेष प्रावधानों के अनुसार दिया जाना चाहिए जो कि वर्तमान में प्रोफेसर यशपाल समिति की अनुसंशा के अनुसार प्रतिबंधित है। पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम व अतिदुर्गम क्षेत्रों में महाविद्यालयों की कमी है। निज़ी विश्वविद्यालयों के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए उक्त स्थानों हेतु निजी विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय खोलने की सशर्त अनुमति भी दी जानी चाहिए जैसे निज़ी विश्वविद्यालय द्वारा निज़ी महाविद्यालय मान्यता संबंधी एक समिति बनाई जाए जिसमें संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग से कम से कम एक अधिकारी व संबंधित निज़ी विश्वविद्यालय द्वारा नामित दो सदस्यों की टीम हो। इनके द्वारा उच्च शिक्षा का विस्तार सुनिश्चित किया जाय। उच्च शिक्षा का विस्तार पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा के पदार्पण से पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन भी रुकेगा जो कि पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है ।

निष्कर्ष

उपरोक्त साक्षात्कार के माध्यम से उच्च शिक्षा में सुधार की रूपरेखा तैयार की गयी जिसके निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

1. उच्च शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जाय और ऑनलाइन उच्च शिक्षा के मार्ग खोले जाने की दिशा में कार्यों का संचालन किया जाय।

2. उच्च शिक्षा में विषयों या विषय ग्रुपों की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार किया जाय और छात्र की रुचि के अनुसार एक या दो या तीन विषयों को चयनित करने की व्यवस्था पर कार्य किया जाय।

3. पहाड़ी क्षेत्रों के दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों में निज़ी विश्वववविद्यालयों को महाविद्यालयों की मान्यता का अधिकार सशर्त दिया जाय जिससे उक्त कठिन परिस्तिथियों में उच्च शिक्षा का प्रचार व प्रसार हो सके और पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं का पलायन उच्च शिक्षा हेतु रोका जा सके ।

4. उच्च शिक्षा जैसे पीएचडी या अनुसंधान हेतु परास्नातक में 55 प्रतिशत के साथ संबंधित विषय में डिग्री की अनिवार्यता को परिवर्तित किया जाय और किसी विशेष क्षेत्र में 5 वर्ष या इससे अधिक अनुभवी लोगों या कर्मचारियों को भी सीधे पीएचडी या अनुसंधान हेतु अनुमति की व्यवस्था हो क्योंकि संबंधित क्षेत्र का वह अनुभवी व्यक्ति है और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में उसका योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

उच्च शिक्षा में उक्त सुधारों से वास्तविक अनुभवी लोगों को समुचित अवसर मिलेगा वर्तमान में उनको सम्मानित करने की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उनको मानद उपाधि से सम्मानित किया जाता है लेकिन उक्त व्यवस्था से भावी पीढ़ी को उनके क्षेत्र का लिखित ज्ञान रिसर्च के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है। यदि मानद उपाधि के स्थान पर उनको पीएचडी की उपाधि प्रदान की जाय तो वह विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन हेतु भी योग्यताधारी हो जाएंगे और अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण को बढ़ावा भी सकते हैं। उपरोक्त सुधारों से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उच्च शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सरोकार भो होगा।

संदर्भः

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राजपत्र पीएचडी रेग्यूलेशन 2009
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न अध्यादेश
- प्रो. यशपाल समिति की रिपोर्ट

Corresponding Author

Dr. Lalita Pandey*

Education

lalitapandey1980@gmail.com